

0260456

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान Board of Secondary Education, Rajasthan



प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित
 Certificate with Mark Sheet

उच्च माध्यमिक परीक्षा - 2014

Senior Secondary Examination - 2014

नामांक Roll No.	केंद्र Centre	जिला District	नियमित/स्वयंपाठी Regular/Private	श्रेणी Category	वर्ग का नाम Group Name	संदर्भ संख्या Ref. No.
1962414	04056	BARMER	REGULAR	1	HUMANITIES	060622

प्रमाणित किया जाता है कि

This is to certify that

माता का नाम

Mother's Name

DEEPA RAM

पिता का नाम

Father's Name

PAPU DEVI

DERAJ RAM

ने मार्च माई 2014 में आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा

has appeared in March 2014 at the Senior Secondary Examination from

(1040093) GOVT SR SEC SCH, CHOUHATAN

से प्रविष्ट होकर निम्नांकित विषयों में यशस्वी गये अंकों सहित उत्तीर्ण की :

and was declared Pass with subject-wise marks mentioned below :

अनिवार्य/ऐच्छिक विषय Comp./Optional Subject	पूर्णांक (Max. Marks)		न्यूनतम (Min. Pass Marks)		प्राप्तांक (Marks Obtained)			
	सिद्धा.	सत्रांक प्रश्नो.	सिद्धा.	सत्रांक प्रश्नो.	सिद्धा.	सत्रांक	योग	प्रश्नो.
	(Th.)	(Sess.)	(Th.)	(Sess.)	(Th.)	(Sess.)	(Total)	(Pr.)
HINDI (COMP.)	80	20	33		57	18	75	075
ENGLISH (COMP.)	80	20	33		36	19	55	055
ECONOMICS	80	20	33		52	18	70	070
POL. SCIENCE	80	20	33		49	20	69	069
HISTORY	80	20	33		54	18	72	072
कुल पूर्णांक Total Max. Marks	500		कुल प्राप्तांक Total Marks Obtained		341		68.20%	
अतिरिक्त विषय Additional Subject					परिणाम Result		FIRST DIVISION	
SOC. SER. PLAN. RAJASTHAN STUDIES	100		33				8	
								062

आजमेर
AJMER

दिनांक
DATE

22-05-14

(विशेष विवरण हेतु कृपया पृष्ठ 2 परीक्षा)

(Signature)
 100-000-000
 100-000-000
 100-000-000

विशेष विवरण

1. उक्त मासिक परीक्षा में केटी (Division) निर्धारण के लिए कुल 500 हैं। प्रत्येक विभाग तथा कृषि केटी (Division) में उनीस होने के लिये प्रत्येक 50/45 तथा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त आवश्यक हैं एवं प्रमाण पत्र अंक-तालिका सहित में प्रेषित। (नोट: दाखिले जायेगा। विशेष नोट: 75 जीविका या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ही केटी में विभाग निर्माण। निम्न में दो श्रेणियाँ: परीक्षा केटी (Category) 4 एवं 5 के परीक्षार्थियों के लिए यह नियम लागू की है।
 2. परीक्षा केटी (Category) का कारण परीक्षा में सम्मिलित विभाग प्रत्येक के परीक्षार्थियों से है:
 - (क) सामान्य विभाग में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी 1
 - (ख) केटी (Division) गुणा हेतु पुनः सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी 2
 - (ग) प्रत्येक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी 5
 - (घ) अतिरिक्त विभाग/विभागों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी 4
 - (ङ) प्रत्येक भाषा में उनीस होने के बाद अतिरिक्त अथवा द्वितीय अतिरिक्त विभाग में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी 5
 - (च) वर्ग (Group) परिवर्तन कर पुनः उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी 8
 3. प्रश्नों की पुनः गणना (Re-totalling) हेतु आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में परीक्षाफल घोषणा की तिथि से दस दिवस की अवधि में पहुँच जाने चाहिये। उसके बाद प्रमाण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। प्रत्येक विभाग के लिए शुल्क रुपये 200/- निर्धारित है तथा उक्त पुस्तिका की फोटो प्रति हेतु प्रत्येक उक्त पुस्तिका की राशि रुपये 400/- निर्धारित है। पुनः गणना हेतु आवेदन पत्र उपनिदेशक (गोपनीय) के नाम से भेजें। संवीक्षा (पुनर्गणना) में किसी भी अभ्यर्थी की उक्त-पुस्तिका की पुनः जांच (Re-examination) करना समाविष्ट नहीं है।
 4. बोर्ड द्वारा प्रदान प्रलेखों की प्रतिलिपि में इन्हें अथवा स्टोवरल / कपिलेशन कार्यालय दक्षिण कार्य है, ऐसा कार्य जाने या दोष की सम्भारता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 5. परीक्षा में प्रेषित होने के उपरान्त भी परीक्षार्थी प्रमाण-पत्र अंक-तालिका सहित में किसी विभाग में सम्मिलित होता है तो वह केन्द्राधीक्षक से उपस्थिति प्रमाणित करवाकर अधिकतम तीन माह की अवधि में बोर्ड कार्यालय को भुजित करे।
 6. प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित या परीक्षार्थी का फोटो मुद्रित नहीं किया जाता है।
 7. अनिवार्य विभाग के सम्पूर्ण COMP. अतिरिक्त किया गया है।
 8. यदि परीक्षार्थी के नाम/पिता/माता के नाम के संशोधन अवसिक्त है तो नियमानुसार परिचय घोषणा की तिथि से दो वर्ष की अवधि में संशोधन की कार्यवाही करे। उसके पश्चात् संशोधन नहीं किया जायेगा।
- 9. ABBREVIATIONS:-**
- AA - अनुसूचित
D - विभाग में विशेष योग्यता
G - अनुसूचित अंक



विद्यालय प्रधान / केन्द्राधीक्षक द्वारा पृष्ठांकन

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी के नाम, माता-पिता के नामों की वर्तनी (स्पेलिंग) की शाला रिकॉर्ड के अनुसार भली प्रकार से जांच कर ली गई है। सही पाये जाने पर परीक्षार्थी जिसके हस्ताक्षर नीचे किये हुए हैं का प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित दिनांक: 02/07/17 को दिया गया।

दीपाराम
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

विद्यालय प्रधान / केन्द्राधीक्षक के
हस्ताक्षर व विद्यालय की रबर मोहर

नोट :- परीक्षार्थी के नाम, पिता माता के नामों में वर्तनी (स्पेलिंग) या उपनाम में शाला रिकॉर्ड से भिन्न पाये जाने पर संशोधनार्थ अपनी अभिशंषा के साथ नियमानुसार मूल दस्तावेज व प्रमाणित प्रतियाँ सहित दस्तावेज तुरन्त बोर्ड को लौटा दिये जावें।

परीक्षार्थी को यदि मूल प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित उक्त पृष्ठांकन के बिना दिया गया हो तो यह अमान्य होगा।